<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 25/2018

1 मनीराम पुत्र स्व. जैसाराम जाति मेघवाल, निवासी घासीराम का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)।

2 लिलाधर पुत्र स्व. जैसाराम जाति मेघवाल निवासी घासीराम का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)।

3 रामनिवास पुत्र स्व. जैसाराम जाति मेघवाल, निवासी घासीराम का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)।

4 सुरजभान पुत्र स्व. जगदीश जाति मेघवाल, निवासी घासीराम का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)।

5 पतासी पत्नी स्व. जगदीश जाति मेघवाल, निवासी घासीराम का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)।

6 जीताराम पुत्र स्व. सेडूराम जाति मेघवाल निवासी घासीराम का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)।

7 इमरती पत्नी स्व. रामेश्वर जाति मेघवाल, निवासी घासीराम का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)।

8 राकेश पुत्र स्व. रामेश्वर जाति मेघवाल, निवासी घासीराम का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.) हाल निवासी भूरासर का बास तहसील व जिला झुन्झुनूं। राज.

9 इन्द्र पुत्र स्व. रामेश्वर जाति मेघवाल, निवासी घासीराम का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.) हाल निवासी भूरासर का बास तहसील व जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

1 सत्यपाल पुत्र नारायणराम, जाति मेघवाल निवासी घासीराम का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)।

2 भगवान सिंह पुत्र स्व. भूराराम जाति मेघवाल निवासी घासीराम का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)।

3 मामराज पुत्र स्व. भूराराम, जाति मेघवाल, निवासी घासीराम का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.) (मृतक)

3/1 शीशपाल पुत्र स्व. मामराज, जाति मेघवाल, निवासी घासीराम का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)।

3/2 रामकुमार पुत्र स्व. मामराज, जाति मेघवाल, निवासी घासीराम का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)।

3/3 मूलचन्द पुत्र स्व. मामराज, जाति मेघवाल, निवासी घासीराम का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)।

3/4 हरिराम पुत्र स्व. मामराज, जाति मेघवाल, निवासी घासीराम का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)।

3/5 सुभाष पुत्र स्व. मामराज, जाति मेघवाल, निवासी घासीराम का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)।

3/6 सरिता पुत्री स्व. मामराज जाति मेघवाल, निवासी घासीराम का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)।

4 शंकरलाल पुत्र स्व. नारायणराम, जाति मेघवाल, निवासी घासीराम का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)।

5 नाथा पुत्र स्व. बक्शाराम, जाति मेघवाल निवासी घासीराम का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)।

6 नायब तहसीलदार, मलसीसर, जिला झुन्झुनू राज.।

7 राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

8 शीशराम पुत्र स्व. रामेश्वर, जाति मेघवाल, निवासी घासीराम का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.) हाल निवासी भूरासर का बास तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

9 छोटूराम पुत्र स्व. रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी घासीराम का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.) हाल निवासी भूरासर का बास तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर दिनांक 31.01.2018 उनवानी मनीराम वगैरह बनाम सत्यपाल वगै. मु.नं. 281/2015 अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री मनोहरलाल सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 10.6.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 281/2015 में पारित निर्णय दिनांक 31.01.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्टस/आवेदकगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए टिनेन्सी एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि आवेदकगण की खातेदारी व काश्त की भूमि वाके ग्राम खारिया पटवार क्षेत्र हरिपुरा तहसील मलसीसर में भूमि हाल खसरा नम्बर 12 रकबा 5.67 हैक्टेयर स्थित है तथा भूमि खसरा नम्बर 11 रकबा 8.50 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 19/191 रकबा 0.66 हैक्टेयर बारानी भूमि के खातेदार काश्तकार अनावेदकगण/रेस्पोडेन्टस नम्बर 01 लगायत 05 है। आवेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 11, 12 व 19/191 एकदम पास पास ही स्थित है तथा आवेदकगण ग्राम घासीराम के बास के स्थाई निवासी है तथा खसरा नम्बर 11 के पश्चिम से आम सड़क मलसीसर से झुन्झुनू जाती है तथा आम सड़क मलसीसर से झुन्झुनू के पूर्वी दिशा से होकर खसरा नम्बर 11 से होकर खसरा नम्बर 12 में आने जाने हेतु आवेदकगण के पूर्वजो के समय से ही पगडंडी (रास्ता) रहा है जो रास्ता सड़क से मात्र 25 मीटर की लम्बाई है तथा इसी रास्ते से अपीलान्ट अपनी काश्त की भूमि को काश्त करते रहे है। उक्त रास्ते को आवेदन पत्र के साथ नजरी नक्शे में ए से बी दिखाया गया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 लगायत 05 काफी बार उक्त रास्ते में छड़ीया वगैरह डालकर बन्द कर देते है इस पर अपीलान्टस ने दिनांक 02.07.2015 को एक आवेदन पत्र पेश किया जिस पर पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का द्वारा श्रीमान तहसीलदार के आदेश से मौके पर विपक्षीगण से रास्ता खुलवाया जिस पर विपक्षीगण ने कहा कि फसल बुबाई व ऊंट गाड़ी से अनाज लाने के लिए रास्ता उपलब्ध करवा देगे। इस प्रकार आवेदगण की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु काफी समय पूर्व से ही आम सड़क झुन्झुनू से मलसीसर के पूर्व से होकर खसरा नम्बर 11 से होकर पगडंडी रही है जो कटान का रास्ता न

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (राजस्थान)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर * (कैम्प) *

होने के कारण उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया था। जिस बाबत विचारण न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना ही वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होना मानकर आवेदकगण का प्रार्थना पत्र खारीज करने का आलौच्य आदेश पारित किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्टस की खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 12 में जाने आने हेतु व फसल काश्त करने हेतु आम सड़क मलसीसर से झुन्झुनू के पूर्व में स्थित खसरा नम्बर 11 से होकर खसरा नम्बर 12 तक रास्ता हमेशा से ही अपीलान्टस के पूर्वजों के समय से ही पगडंडी के रूप में रास्ता चालू रहा है तथा इसी रास्ते का उपयोग उपभोग अपीलान्टस अपने खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 12 में आने जाने व काश्त करने के लिए करते रहे है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटान का न होने के कारण रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 लगायत 05 चाहे जब इसमें छड़ीया वगैरह डालकर इसको रोक देते है। उक्त रास्ते को खसरा नम्बर 11 के खातेदारों द्वारा रोक देने के उपरांत खसरा नम्बर 12 के खातेदार अपीलान्टस ने तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया था तब तहसीलदार ने हल्का पटवारी व हल्का गिरदावर की फर्द मौका रिपोर्ट मंगवाई थी जिस पर हल्का पटवारी व हल्का गिरदावर मौके पर जाकर दिनांक 02.07.2015 को फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की थी जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि ' उक्त रास्ता ग्राम खारिया की सीमा में स्थित है। राजस्व रिकार्ड में रास्ता कटानी नहीं है मौके पर पगडंडी है। जिसको खसरा नम्बर 11 के सहखातेदार सतपाल पुत्र नारायण राम, जाति मेघवाल निवासी घासीराम का बास ने छड़ी बाड़ कर बन्द कर दिया है। मौके पर इस पगडंडी को अपने खेत की दक्षिणी व पूर्वी सीमा के सहारे खोल रखी है। जो मौके पर चालू है। अपने खेत की सुरक्षा के लिए छड़ी बाड़ कर रखी है। सहखातेदार सतपाल पुत्र नारायणराम, जाति मेघवाल ने मौके पर स्वीकार किया कि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

ऊंटगाड़ी व ट्रेक्टर आदि जाने के लिए फसल बुआई अनाज लाने के समय रास्ता देने के लिए तैयार हूं किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करूंगा'। इस प्रकार इस रिपोर्ट से यह साबित हो जाता है कि खसरा नम्बर 12 में जाने आने हेतु खसरा नम्बर 11 से होकर पगडण्डी हमेशा से ही रही है तथा उक्त पगडंडी को उसके खातेदार खसरा नम्बर 11 के खातेदार सतपाल ने रोक दिया तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटान का नहीं है। इसलिए अन्तर्गत धारा 251ए कातश्कारी अधिनियम के तहत यह स्पष्ट दर्ज किया गया है कि किसी खातेदारी की काश्त की भूमि में कोई कटानी रास्ता नहीं है या काश्तकार की जोत में कोई रास्ता है उसकी लम्बाई व चौड़ाई बढ़ाने का प्रावधान दिया गया है। अपीलान्टस के खातेदारी की भूमि में जाने हेतु गांव से व मुख्य सड़क से मात्र 25 मीटर की दूरी पर ही अपीलान्टस की भूमि स्थित है जिसमें काफी समय पूर्व से ही पगडंडी चालू रही है जिसकी चौड़ाई बढ़ाई जाकर अपीलान्टस की खातेदारी की भूमि में जाने हेतु पगडण्डी की चौड़ाई बढाई जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत था। फिर भी विचारण न्यायालय ने मात्र अपने निर्णय में यह दर्ज करते हुये कि आवेदकगण को वर्तमान वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होना मानते हुये अपीलान्टस का आवेदन पत्र खारीज किया है तथा खसरा नम्बर नम्बर 11 से होकर खसरा नम्बर 12 में जाने आने हेतु पगडंडी मौजूद ही जिसकी ताईद फर्द मौका रिपोर्ट से भी हो रही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी में 1/10 हिस्सा दर्ज है। खसरा नम्बर 12 के बिचोबीच एक डोटेड लाईन मार्क रास्ता मुख्य सड़क मलसीसर से झुन्झुनू पर से खारिया गांव के लिए जाता है। जो मौके पर चालू होना व प्रार्थी व उसके परिजन मय परिवार खसरा नम्बर 11 के साथ चल रही सड़क मलसीसर से झुन्झुनू के पश्चिम में मुख्य सड़क पास ही से है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

जिनको अपने खेत खसरा नम्बर 12 में जाने के लिए लगभग 2 किलोमीटर घुस कर उक्त वर्णित रास्ते से खेत में जाना पड़ता है। इसलिए प्रार्थीगण खसरा नम्बर 11 में से होकर रास्ता चाहा गया है। जिसकी दूरी खसरा नम्बर 12 तक पहुचने में मात्र 100—150 मीटर की लम्बाई की बनती है। खसरा नम्बर 11 व 12 दोनों मुताबिक संलग्न नक्शा के एक दुसरे से चिपते हुए है। राजस्व रिकार्ड व मौका रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार प्रार्थी मनीराम की संयुक्त खातेदारी खसरा नम्बर 12 के बिचोबीच डोटेड लाईन मार्क रास्ता मुख्य सड़क मलसीसर से झुन्झुनू पर से खारिया गांव जाने वाले मौके पर चालू है। तो आवेदकगण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए का पेश करने की क्या जरूरत पड़ी जबकि जमीन खसरा नम्बर 12 वाके ग्राम खारिया में से अन्य वैकल्पिक रास्ता न हो व न कभी रहा हो। जबकि नक्शा ट्रेश में खसरा नम्बर 12 में से रास्ता अंकित है। जो मौके पर मौजुद है यह आम रास्ता है जो 10 फुट चौड़ा है तो इस प्रकरण में उक्त अधिनियम की धारा 251 क के प्रावधान लागू नहीं होते है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी में 1/10 हिस्सा दर्ज है। खसरा नम्बर 12 के बिचोबीच एक डोटेड लाईन मार्क रास्ता मुख्य सड़क मलसीसर से झुन्झुनू पर से खारिया गांव के लिए जाता है। जो मौके पर चालू होना व प्रार्थी व उसके परिजन मय परिवार खसरा नम्बर 11 के साथ चल रही सड़क मलसीसर से झुन्झुनू के पश्चिम में मुख्य सड़क पास ही से है। जिनको अपने खेत खसरा नम्बर 12 में जाने के लिए लगभग 2 किलोमीटर घुस कर उक्त वर्णित रास्ते से खेत में जाना पड़ता है। इसलिए प्रार्थीगण खसरा नम्बर 11 में से होकर रास्ता चाहा गया है। जिसकी दूरी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

खसरा नम्बर 12 तक पहुचने में मात्र 100–150 मीटर की लम्बाई की बनती है। खसरा नम्बर 11 व 12 दोनों मुताबिक संलग्न नक्शा के एक दुसरे से चिपते हुए है। राजस्व रिकार्ड व मौका रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार प्रार्थी मनीराम की संयुक्त खातेदारी खसरा नम्बर 12 के बिचोबीच डोटेड लाईन मार्क रास्ता मुख्य सड़क मलसीसर से झुन्झुनू पर से खारिया गांव जाने वाले मौके पर चालू है जबकि नक्शा ट्रेश में खसरा नम्बर 12 में से रास्ता अंकित है जो मौके पर मौजुद है यह आम रास्ता है जो 10 फुट चौड़ा है तो इस प्रकरण में उक्त अधिनियम की धारा 251 क के प्रावधान लागू नहीं होते है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर